न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 161/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. प्रतापसिंह पिता लालसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रेमसिंह पिता लालसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. भभुतसिंह पिता रामसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती नंद कुंवर पुत्री सवसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कैलाष कुंवर पुत्री सवसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. हिम्मतसिंह पिता सवसिंह राजपूत, निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
वल्लभनगर दिनांक 10–05–2017
प्रकरण संख्या 42/2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री विजयकुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 3
3– श्री कमलेष चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 4

———::———

निर्णय **दिनांक 19–10–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमरपुरा में

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.11.09 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 101 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार फतहसिंह का निधन हो चुका है, जिनके तीन पुत्रों में उनका हिस्सा निहित हुआ और तीनों भाईयों के मध्य हुए सेटलमेन्ट के तहत उक्त आराजी के तीन बटा नंबर 101/1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 101/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कायम हुए। आराजी नंबर 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी नंबर 101/1 में 40/143 हिस्सा तथा आराजी नंबर 101/2 में 54/151 हिस्सा सवसिंह पिता फतहसिंह के नाम दर्ज हुआ, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रृक भूमि है एवं उनका जन्म से अधिकार है एवं प्रत्येक का अर्थात फतहसिंह की दोनों पुत्रियों, पुत्र व फतहसिंह स्वयं का 1/4 हिस्सा है, किन्तु भूमियां अकेले फतहसिंह के नाम दर्ज हो गयी। फतहसिंह से वादीगण को उक्त भूमि को महरूम रखने की नियत से बिना किसी अधिकार के नुमाईषी विक्रय आराजी नंबर 101/2 का 54/151 हिस्सा प्रतिवादी भभूतसिंह एवं आराजी नंबर 101/1 का 40/143 हिस्सा एवं आराजी नंबर 101/3 सम्पूर्ण प्रतिवादी प्रतापसिंह व प्रेमसिंह को विक्रय कर दी, जिसका फतहसिंह को कोई हक व अधिकार नहीं था। विक्रय के इतने वर्षो तक प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 कभी भी मौके पर नहीं आये, किन्तु दिनांक 10–06–2016 को मौके पर आये एवं वादीगण के हक अधिकारों को चुनौती दी, जिससे वाद प्रस्तुत करना आवष्यक हो गया। अतः वाद पत्र की कमल संख्या 3 में वर्णित आराजी नंबर 101/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी नंबर 101/1 में 40/143 हिस्सा तथा आराजी नंबर 101/2 में 54/151 हिस्सा में से वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–05–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेष चौहान उपस्थित हुए। वकील रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 की ओर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.11.09 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो षामिल पत्रावली है, जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा मौखिक बहस की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 27–07–2017 को हुई, तत्पष्चात् अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जावे। ताईद में षपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। मयाद प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों, अखण्डित षपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से विक्रय किया गया है तथा विक्रीत भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टगण के नाम दर्ज हुई है, किन्तु इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 जो की रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का भाई है, की सहमति के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपील लिखित बहस में वर्णित किया कि वादग्रस्त आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 अर्थात वादीगण का हक अधिकार होने से उन्हें 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपनी लिखित बहस में उन्होंने यह भी अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेष दिनांक 10–05–2017 के विरूद्ध अपीलान्ट ने आदेष 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन माननीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो अभी विचाराधीन है। अपीलान्ट ने इस तथ्य को छुपाते हुए अपील माननीय आप न्यायालय में प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है, क्योंकि एक ही आदेष के विरूद्ध दो न्यायालयों से समान अनुतोष प्राप्त किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। अतः अपील इस स्टेज पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.11.09 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि इसी अपीलाधीन आदेष दिनांक 10–07–2017 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में आदेष 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेष की पालना रोके जाने का निवेदन किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अब अपीलान्ट इसी अपीलाधीन आदेष दिनांक 10–07–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय से भी राहत चाहता है, जबकि एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दो अलग–अलग न्यायालय से समान अनुतोष दिया जाता विधि सम्मत प्रकट नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट की अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 19–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.11.09 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

प्रतापसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर, जि. उदयपुर व अन्य	बनाम	**श्रीमती नन्द कुंवर पुत्री सवसिंह राजपूत, नि0 अमरपुरा जागीर, तहसील वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.....**161 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....10**.....माह.....**05**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**....माह.....**10**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री विजयकुमार ओस्तवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री भीमराज पटेल** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.11.09 13:18:16 IST
Reason: SelfAttested